IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं से संबंधित अपराधों पर नवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक तुलनात्मक अध्ययन

HEMLATA CHOUHAN

(Research Scholar)

Sangam university Bhilwara

सारांश :

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के विरुद्ध अपराध कोई नई बात नहीं है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध ऐसे गैर कानूनी और अनैतिक कृत्य होते हैं जो महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कुछ अपराध ऐसे हैं जो समाज में जागरूकता के कारण न के बराबर है जैसे सती प्रथा। लेकिन प्रगतिशील समाज में महिलाएं नए-नए लक्ष्य प्राप्त कर रही है पुरुषसत्तात्मक समाज में हीन भावना रखने वाली मानव आज भी है जो नित नए अपराधों को करने में पल भर भी देर नहीं करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु , बालिका भ्रूण हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन,एसिड अटैक, साइबर अपराध आदि है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए समय-समय पर कानूनों में संशोधन किए गए ताकि कानून को प्रभावशीलता से लागू किया जा सके । नवीन आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लंबे समय से चले आ रहे औपनिवेशिक काल के कानून भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है भारतीय न्याय संहिता,2023 का लागू होना भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन को रेखांकित करता हैं । भारतीय न्याय संहिता 2023 में अध्याय 5 महिलाओं और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में नवीन प्रावधान एवं सुधारों का उद्देश्य देश के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें और अधिक प्रासंगिक बनाना है।इस अध्ययन का मूल उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दण्ड संहिता 1860 का तुलनात्मक अध्ययन है।

मूल शब्द – महिलाएं , अपराध, यौन उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा ।

शोध का उद्देश्य –

शोध-पत्र का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विषय के अंतर्गत वर्तमान बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विद्यमान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का अध्ययन करना हैं। महिलाओं के विरुद्ध

अपराधों के विषय अध्याय 5 में विधि सुधारों के रूप में हुए महत्वपूर्ण विधिक परिवर्तनों पर गहराई से विचार कर आपराधिक विधि में सुधार से जुड़े प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना है तुलनात्मक अध्ययन से अध्याय पांच में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में शोध पत्र सहायक सिद्ध होगा। तुलनात्मक अध्ययन से वर्तमान में विधि में हुए परिवर्तन की सार्थकता का अध्ययन करना है

अध्ययन पद्धति :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के लागू होने के पश्चात भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। यह नई संहिता औपनिवेशिक कालीन भारतीय दंड संहिता, 1860 की अपेक्षा आधुनिक सामाजिक, तकनीकी एवं विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक समकालीन एवं व्यावहारिक मानी जा रही है। बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य, साइबर अपराधों की वृद्धि, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में परिवर्तन तथा संगठित अपराधों की जटिलता ने आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराधों एवं अन्य महत्वपूर्ण आपराधिक प्रावधानों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इस अध्ययन में भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों की तुलना करते हुए यह विश्लेषण किया गया है कि नवीन संहिता किस सीमा तक वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं एवं न्यायिक अपेक्षाओं को पूर्ण करती है। साथ ही, न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता, अपराध नियंत्रण क्षमता तथा पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया का भी समग्र मूल्यांकन किया गया है।

इस शोधकार्य में मुख्यतः वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध पद्धति (Descriptive and Comparative Research Method) का उपयोग किया गया है। अध्ययन हेतु आवश्यक तथ्यों एवं आँकड़ों का संकलन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में विधिक पुस्तकें, शोध आलेख, न्यायालयीन निर्णय, विधि आयोग की रिपोर्टें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, पत्र-पत्रिकाएँ तथा विश्वसनीय इंटरनेट स्रोत सम्मिलित हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर विषय का वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

भूमिका -"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता:। यत्रै तास्तु पूज्यंते सर्वास्त त्राफला:।।

यह श्लोक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति (अध्याय 3, श्लोक 56)

यह श्लोक भारतीय संस्कृति के उस मूल सिद्धांत को दर्शाता ही जिसमें समाज, परिवार और राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा को अनिवार्य माना गया है। उस देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारतीय समाज के समक्ष एक गंभीर सामाजिक, कानूनी एवं नैतिक चुनौती बन चुकें हैं। आधुनिकता, शिक्षा और तकनीकी विकास में महिलाओं की भागीदारी के बाद भी उनके प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, शोषण, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी, साइबर अपराध महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इन अपराधों का प्रभाव केवल महिला तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की "क्राइम इन इंडिया 2022" रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या 4,28,278 तथा वर्ष 2020 में 3,71,503 थी। इस प्रकार वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। NCRB के अनुसार औसतन प्रत्येक घंटे लगभग 51 प्राथमिकी (FIR) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित दर्ज की गईं। महिलाओं के

विरुद्ध अपराध की दर प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 66.4 दर्ज की गई, जो महिलाओं की सुरक्षा की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करती है

साहित्य समीक्षा -:महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023

अक्षय श्रीवत्स (2024) ने भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए बताया कि BNS ने संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग एवं आतंकवाद जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, किन्तु वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल न करना तथा कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता इसकी प्रमुख सीमाएँ हैं।

मीमांसा मित्तल एवं सुरज मित्तल (2024) ने भारतीय न्याय संहिता में लैंगिक समावेशिता का अध्ययन करते हुए कहा कि यद्यपि BNS ने कुछ प्रावधानों को अधिक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है, फिर भी यह समुदाय एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई है। लेखकों के अनुसार यौन अपराधों से संबंधित कई प्रावधान अब भी पारंपरिक लैंगिक धारणाओं पर आधारित हैं।

विनोद कुमार शर्मा एवं अंशुला श्रेष्ठ (2024) ने IPC, अधिनियम तथा BNS का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पाया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु व्यापक एवं लैंगिक-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता है। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि केवल दंडात्मक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि पीड़ित संरक्षण एवं त्वरित न्याय व्यवस्था भी आवश्यक है।

मनिंद्र सिंह हंसपाल (2024) के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल साक्ष्य, त्वरित जांच एवं कठोर दंड व्यवस्था जैसे सुधार प्रस्तुत किए हैं। तथापि, इन कानूनों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पुलिस प्रशासन की दक्षता तथा न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर निर्भर करती है।

उपरोक्त साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण करण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फिर भी, लैंगिक समानता, प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक संवेदनशीलता एवं सामाजिक जागरूकता की दिशा में अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

.महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध –

1.दहेज मृत्यु किसी स्त्री की मृत्यु किसी दवा या शारीरिक क्षति द्वारा कार्य की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में हो जाती है और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि उसकी मृत्यु को कुछ पूर्व उसके पति या पति के नातेदारों ने दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की दहेज मृत्यु है दहेज मृत्यु में विभिन्न कृत्यों से उसकी क्षति द्वारा मृत्यु कारित की जाती है जैसे दुल्हन को आग लगाना ,आत्महत्या या दुर्घटना जैसा देखने के लिए मंचित करना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष दहेज1 हत्याओं की रिपोर्ट दर 2021 6590 2020 6842

(2) **ऑनलाइन किलिं**ग- भारत में कुछ क्षेत्रों में गांव की जाति परिषदें या खाप पंचायतें नियमित रूप से उन लोगों को मौत की सजा सुनाती है जो जाति या गोत्र पर उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं ।भारत में उत्तरी राज्य हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश ,राजस्थान झारखंड, हिमाचल प्रदेश में ऑनर किलिंग सबसे प्रमुख क्षेत्र है ।

(3)**कन्या भ्रूण हत्या-** प्यू रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया है कि 2000 से 2019 की अवधि में भारतीय जनसंख्या में 9 मिलियन महिलाएं गायब है वर्तमान में चिकित्सा का प्रौद्योगिकी में भ्रूण अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण को सक्षम बनाती है भ्रूण के लिंग पहचान के बाद परिवार के पास गर्भपात करने का विकल्प रहता है

(4)**बलात्कार** महिला विशेष अपराधों में यौन अपराध चरम पर है भारत में अरुणा शानबाग रेप केस (1973), मथुरा रेप केस (1972), अंजना मिश्रा रेप केस (1999), सौम्या रेप केस ,मुंबई गैंगरेप केस, भंवरी देवी गैंग रेप, स्कॉटलैट कीलिंग रेप केस इमराना रेप केस (2005),सबसे ज्यादा भयानक और क्रूरतम रेप केस दिल्ली रेप केस में माना जाता है दिसंबर 2012 को दरिंदगी दिखाई उसे शायद ही कोई भूल पाएं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार गत पांच सालों का रिकॉर्ड वर्ष 2019-20000 2020 28046 2021 667 2022 से 3948 2023 का 13204 निर्भया कांड के पश्चात् आपराधिक कानून में आवश्यक संशोधन के सुझाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्य जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्याय मूर्ति लीला सेठ और भारत के पूर्व सालिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के साथ एक न्यायिक समिति का गठन किया गया इनके सुझावों के आधार पर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया गया।

एसिड अटैक पीली भीत में एलएल.बी की छात्रा पर दो अज्ञात युवकों ने एसिड अटैक कर दिया। दिल्ली में 14 दिसंबर 2022 को बाइक पर सवार होकर दो नकाबपोश लड़कों ने 17 साल की बच्ची पर एसिड फेंक दिया था एसिड अटैक अक्सर एक तरफा प्यार या प्रतिशोध की भावना को शांत करने के एक तरह की हिंसा का उपयोग किया जाता है ।2012 में निर्भया बलात्कार कांड के बाद सर्वोच्च न्यायालय वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले तेजाबी हमलें के बारे में कानून के संशोधन की सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 150 ,वर्ष 2020 में 105 और वर्ष से 2021 में 102 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले अधिक संख्या में दर्ज किए गए हैं एसिड अटैक को आई पी सी की धारा 326 A में दंडित किया गया जिसे BNS में भी सम्मिलित किया गया है।

5.**नई चुनौतियों का विधि का अवलोकन विश्लेषण**

1.सामूहिक बलात्संग धारा70(1)-किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक जिससे उस व्यक्ति की शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेरित होगा की हों सकेगी दण्डित किया और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा । जुर्माने को पीड़िता को सदंत्त किया जाएगा

धारा 70(2)-18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग किया जाता है वहां उन व्यक्तियों को आजीवन कारावास और जुर्माने या मृत्युदंड से दंडनीय होगा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में उम्र सीमा को जो कोई सोलह वर्ष की कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा इस प्रकार स्पष्ट है कि आयु सीमा में परिवर्तन किए

जा रहे है नये अधिनियम ने सामूहिक बलात्कार के लिए सजा निर्धारित करने की सीमा के रूप में 18 वर्ष की आयु लागू की है इससे प्रतीत होता है कि महिलाओं की सुरक्षा बढाई है

धारा 69- प्रवंचना पूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन करना – धोखे से महिला से यौन संबंध बनाना या बिना किसी इरादे के शादी का वादा करना 10 साल की कैद से दंडनीय अपराध होना यौन हिंसा को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है अक्सर युवा पीढ़ी महिला से झूठे वादे का कर संबंध बनाती जैसे तुमसे शादी करूंगा और इस पर एक फिल्मी गाना भी बना है "मुझसे शादी करूंगी "और शादी के बहकावे में यौन संबंध बनाने के पश्चात् महिला से शादी से इंकार कर देता था इन अपराधों की रोकथाम के नियंत्रण के लिए नई धारा का समावेश किया गया है

लिंग तटस्थता(न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट 2013) जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के अपहरण और 16 साल से कम उम्र के लड़कों के अपहरण को अवैध बनाती है वर्तमान अधिनियम में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137

आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार पुरुष और स्त्री लिंग की परवाह किए बिना सभी बच्चों के अपहरण को अपराधी बनातीं है यह लिंग तटस्थता की दशा में एक कदम है

धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग -नए कानून में "पुरुष" शब्दों को हटा दिया इसे "जो कोई भी"शब्द से बदल दिया है "अपराधी" शब्द के दायरे को व्यापक बना दिया है

धारा 77 दृश्यकारिता - नये कानून में "जो कोई भी शब्द" का प्रयोग किया गया है भारतीय दंड संहिता में पूर्व में धारा 354-B और 354-C में ऐसा कोई पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया था नवीन अधिनियम में प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। लिंग तटस्थता की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है

वैवाहिक बलात्कार -नवीन आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार कानून में मामूली बदलाव 15 वर्ष से बढ़कर 18 वर्ष की है वैवाहिक बलात्कार में महिला की सहमति अभी भी प्रश्न चिन्ह क्षेत्र है

क्रूरता की परिभाषा (sec 86) पूर्व में भारतीय दंड संहिता में किसी स्त्री पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना दंडनीय अपराध लेकिन क्रूरता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था लेकिन नवीन भारतीय न्याय संहिता में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति कारित करने के लिए प्रेरित करना है साथी ही स्त्री को मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधि विरुद्ध मा ंग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने की दृष्टि से तंग करना भी शामिल किया गया है ।जिससे स्पष्टता के कारण कानून में संदेह का फायदा अभियुक्त न ले सकें ।

बालक से आशय -बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

सुझाव- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध को भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं किया गया जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यौन अपराधों के भिन्न-भिन्न रूप सामने आ रहे हैं तब इस धारा का निरसन उचित नहीं है क्योंकि जो कोई किसी पुरुष ,स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था की विरुद्ध स्वेच्छया से इंद्रीय भोग करेगा इसमें पुरुष स्त्री या जीव जंतु भी शामिल था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (सन 2018) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 के अधीन समलैंगिक इंद्रिय भोग को कतिपय शर्तों के साथ संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा सुरेश कुमार कौशल के निर्णय के उलटकर करके नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली के निर्णय को पुनः बहाल किया गया है

नवीन आपराधिक न्याय क्षेत्र में जाकर हमको भी शामिल नहीं किया गया हैधारा 497 जारकर्म नवीन आपराधिक न्याय संहिता में झारखंड को भी शामिल नहीं किया गया है क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति में क्या महिला सिर्फ उपभोग की वस्तु है विवाहित महिला या पुरुष के अवैध संबंध सामाजिक हनन और अन्य अपराधों को जन्म देते हैं जैसे हत्या, अपहरण, व्यपहरण , ब्लैकमेलिंग इत्यादि अतः विवाह के पश्चात् संबंध को मान्यता कहां तक उचित है

यौन उत्पीड़न के प्रावधानों को बरकरार रखना -भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को बरकरार रखा है यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिश पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना

वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल न करना-

बालक-बालक 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है बच्चों को विरुद्ध कई अपराधों के लिए आयु सीमा भिन्न होती है जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती हैं।

निष्कर्ष -महिलाओ के विरुद्ध अपराधों में कठोर कानून के साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन आवश्यक है जैसे सती प्रथा के आज बिरले ही मामलें मिलते हैं और समाज में समानता के कानूनों को प्राथमिकता दी जाना आवश्यक है आज भी वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का 33 % ही है जबकि आधी आबादी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करतीं हैं महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों में पुरुष प्रधान समाज की हीन मानसिकता प्रतीत होती है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए नैतिकता को भी अध्ययन में शामिल करना होगा ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.भारतीय दंड संहिता _डॉ. एन.वी.पंराजपे

2.भारतीय न्याय संहिता –खेत्रपाल पब्लिकेशन

3.भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं अपराध

4.भारतीय दंड संहिता=बावेल

5.भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचनात्मक

6.राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड बोर्ड -अपराध के सांख्यिकीय आंकड़े

7.दिग्विजय सिंह सिकरवार: भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में नवीन आपराधिक विधि सुधारों की प्रासंगिकता (IJFMR260169924 Volume 8, Issue 1, January-February 2026)

8. सुमित्रा भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध (2018 IJCRT | Volume 6, Issue 1 January 2018 | ISSN: 2320-2882)

Relevance of Recent Criminal Law Reforms in

1.https://www.foxmandal.in/new-laws-new-shield-protecting-women-and-children/

2.https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/law-on-acid-attacks-in-india

3.https://www.tv9hindi.com/india/three-criminal-laws-implemented-what-has-changed-for-women-2699995.htm